इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 428] भोपाल, गुरुवार दिनांक 28 अक्टूबर 2021—कार्तिक 6, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-5-4-2020-उन्तीस-2.—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की स्थापना करती है, जिसे राज्य आयोग के रूप में जाना जायेगा.

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पहले नियुक्त राज्य आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उक्त अधिनियम की धारा 45 में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पद पर बने रहेंगे. यह आदेश राज्य में अधिनियम के लागू होने की दिनांक 20 जुलाई 2020 से प्रभावशील होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-5-4-2020-उन्तीस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-4-2020-उन्तीस-2, दिनांक 28 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, the 28th October 2021

No. F-5-4-2020-XXIX-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (l) of Section 42 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the State Government hereby establishes Madhya Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission to be known as the State Commission.

2. The President and every other member of the State Commission appointed immediately before the commencement of the Consumer Protection Act, 2019 shall continue to hold office as the President and member of the State Commission as provided in Section 45 of the said Act. This order will be effective from the date of commencement of the Act 20th July, 2020.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2021

क्र. एफ-5-4-2020-उन्तीस-2—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के निम्नांकित जिलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की स्थापना करती है, जिसे जिला आयोग के रूप में जाना जायेगा.

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से ठीक पहले नियुक्त जिला आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य उक्त अधिनियम की धारा 31 में दिये गये प्रावधान के अनुसार जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में पद पर बने रहेंगे. यह आदेश राज्य में अधिनियम के लागू होने की दिनांक 20 जुलाई 2020 से प्रभावशील होगा.

1.	भोपाल	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल क्रमांक-1
2.	भोपाल	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, भोपाल क्रमांक-2
3.	इन्दौर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इन्दौर क्रमांक-1
4.	इन्दौर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, इन्दौर क्रमांक-2
5.	जबलपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जबलपुर क्रमांक-1
6.	जबलपुर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जबलपुर क्रमांक-2
7.	रीवा	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, रीवा
8.	ग्वालियर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, ग्वालियर
9.	उज्जैन	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, उज्जैन
10.	सागर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सागर
11.	होशंगाबाद	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, होशंगाबाद
12.	मुरैना	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मुरैना
13.	गुना	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, गुना
14.	धार	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, धार
15.	मंदसौर	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मंदसौर
16.	सतना	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, सतना